कानून का मानवीय चेहरा

लेखक - प्रतिष्ठा बक्सी (एसोसिएट प्रोफेसर, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (सामाजिक न्याय) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

24 जनवरी, 2020

"एक दया याचिका न्याय की विफलता को सुधारने की अनुमति देती है, कानूनी प्रणाली में त्रुटियों को कम करती है।"

दिल्ली में चलती बस में 23 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट से गैंगरेप, जिसके कारण दिसंबर, 2012 में इनकी मौत हो गयी थी, में दोषी पाए गए चार लोगों की मौत की सजा को बरकरार रखने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। इस बार फाँसी के लिए मुकर्रर दिन में हो रहे बदलाव के कारण यह और अधिक चर्चा में है।

इस पर बहस कि बलात्कार के लिए मृत्युदंड एक निवारक तंत्र है या नहीं, सजा देने की तकनीक के साथ धूमिल हो गयी है। चार दोषियों को फाँसी देने की संभावना में, मीडिया ने जल्लादों की कमी पर अफसोस जताया है और इस तथ्य को माना है कि तिहाड़ जेल को एक जल्लाद को उधार लेना पड़ा है। फाँसी के तख्ते की वास्तुकला को फोरेंसिक विस्तार से वर्णित किया गया है अर्थात् एक फाँसी के तख्ते पर चार दोषियों को एक साथ फाँसी देने का विचार।

राष्ट्रपति द्वारा मृत्यु दंड को माफ करने की प्रक्रिया

संदर्भ

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गयी है जो कि निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के लिए दोषी पाए गये हैं;
- किसी जघन्य अपराध के लिए मृत्युदंड
- सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया दंड
- किसी अपराध के लिए दिया गया दंड

इसके अलावा, न्यायपालिका, जिस पर देरी के लिए आरोप लगाये जा रहे है, ने इसके लिए तिहाड़ नौकरशाही पर दोषारोपण किया है। और तिहाड़ नौकरशाही ने आगे बढ़ते हुए दोषियों को जेल नंबर तीन में भेज दिया है, जहाँ फाँसी कथित तौर पर होगी।

प्रत्याशित फांसी की सजा ने एनजीओ और सुधारकों की ऊर्जा को भी बढ़ा दिया है। अदालत ने एक एनजीओ, आरएसीओ की याचिका को खारिज कर दिया, जो दोषियों में पछतावा पैदा करने से प्रेरित थी। एक जेल सुधारक ने दोषियों को गरुड़ पुराण का पाठ सुनाने की बात कही जिससे दोषियों के मन में दी जा रही फाँसी से उत्पन्न भय खत्म हो जाए। इसके अलावा, दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में दोषियों को अंगदान के लिए मनाने वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका एक एनजीओ द्वारा दायर की गई थी। दरअसल, एनजीओ ने दुष्कर्म के दोषियों से मिलने की अनुमति मांगी थी ताकि उन्हें अंगदान के लिए प्रेरित किया जा सके।

राष्ट्रपति ने दया याचिकाओं को ठुकरा दिया है। राष्ट्रपति ने अपने एक बयान में कहा था कि "POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार के दोषियों को दया याचिका दायर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद को दया याचिकाओं की समीक्षा करनी चाहिए।" दया याचिका दायर करने का अधिकार मौत की सजा पा चुके दोषी का संवैधानिक अधिकार है।

मौत की सजा नारीवादी माँग नहीं है। नारीवादियों ने निष्पक्ष जाँच के लिए हमेशा तर्क दिया है। इन्होंने हमेशा तर्क दिया है कि यदि बलात्कार कानून में मौत की सजा को शामिल किया जाता है तो बलात्कारियों द्वारा अधिक से अधिक पीड़ितों को मार दिया जाएगा। इससे पहले 2013 में वर्मा समिति का भी यही दृष्टिकोण था।

POCSO की कार्यान्वयन को ऐसे लोकलुभावन और संवैधानिक रूप से गूढ़ बयानों द्वारा कमजोर बनाया जाता है। दया का प्रावधान न्याय के विफलता को सुधारने की अनुमति देता है, कानूनी प्रणाली में त्रुटियों को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप कानून एक हत्या वाली मशीन बन सकता है।

यह वकीलों के बहिष्कार और खराब कानूनी प्रतिनिधित्व के सामने त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देता है। यह पश्चाताप और सुधार की मान्यता के लिए भी अनुमति देता है, जीवन की पवित्रता को स्वीकार करता है और मानता है कि जब कानून हत्या करता है, तो यह अपनी मानवता को त्याग देता है।

कानून को मानवता की याद दिलाना महत्वपूर्ण है क्योंकि कानूनन हत्या पर उसका एकाधिकार है। कानूनन हिंसा विभिन्न संस्थागत स्थलों पर वितरित की जाती है, जो कि ज्यादातर पुलिस और जेल अधिकारियों द्वारा आपराधिक कानून के क्षेत्र में होती है। इस तरह की हिंसा के अन्य रूपों को वैधता प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, हैदराबाद में एक महिला के बलात्कार और हत्या के संदिग्धों के तथाकथित एनकाउंटर को इस आधार पर उचित ठहराया गया था कि दिसंबर, 2012 के मामले में मौत की सजा के दोषियों को अभी तक फाँसी पर लटकाया नहीं गया है।

आज, पहले से कहीं ज्यादा, यौन हिंसा को भड़काकर मौत की सजा को सही ठहराया जाता है और, यौन हिंसा को एक अपवाद के रूप में तैयार किया गया है। लेकिन मौत की सजा मिलने की संख्या में बढ़ोत्तरी के साथ, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बलात्कार पीड़ितों की हत्या की संख्या काफी बढ़ गयी है। इसलिए यह कहना कि मौत की सजा से बलात्कार रुक जाएगा, गलत होगा।

राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित क्षमादान शक्तियां हैं

- **सजा को क्षमा करना:** इस प्रावधान के द्वारा राष्ट्रपति, आरोपी को आरोपों से मुक्त कर देता है।
- **सजा को कम करना:** इसमें राष्ट्रपति सजा को कम कर देता है जैसे;मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल देता है।
- **दंड की अवधि का परिहार (Remission) करना:** इसमें राष्ट्रपति दंड की प्रकृति में परिवर्तन किये बिना उसकी अवधि को कम कर देता है. जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष का कर देना।
- सजा पर विराम लगाना: राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह मूल सजा को किन्हीं विशेष परिस्तिथितियों में जैसे, शारीरिक अपंगता, गर्भावस्था की अवस्था इत्यादि में रोक सकता है।
- राष्ट्रपति, किसी दंड (विशेषकर मृत्युदंड) का प्रतिलंबन (Suspension) कर सकता है ताकि व्यक्ति क्षमा याचना के लिए अपील कर सके।

उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्न सिद्धांत बनाये हैं:-

- दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है।
- राष्ट्रपति साक्ष्य का पुन: अध्ययन कर सकता है और उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है।
- राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा।
- यदि राष्ट्रपति को लगता है कि अपराधी की सामाजिक परिस्थिति इस प्रकार की है कि उसके परिवार को उसकी बहुत जरूरत है या किसी अन्य मानवीय आधार पर राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है, फाँसी की सजा को उम्रकैद में बदल सकता है या सजा के रूप को बदल सकता है।
- राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्देश का पालन करना जरूरी नहीं है और राष्ट्रपति के इस निर्णय की कोई भी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।
- जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो, तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:-

1. राष्ट्रपति को मृत्यु दंड की सजा माफ करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 72 में प्रदान की गयी है।
2. राष्ट्रपति के पास मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की भी शक्ति प्राप्त होती है।
3. दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements:

1. The power of the President to pardon the death penalty is provided in Article 72 of the Constitution.
2. The President also has the power to convert capital punishment to life imprisonment.
3. The person petitioning for mercy does not have the right of oral hearing in front of the President.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2 (b) Only 1

(c) 1 and 3 (d) All of the above

नोट : 23 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: दया याचिका के सम्बंध में सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान दिशा-निर्देश अपर्याप्त दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में अन्य क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

The present guidelines of the Supreme Court regarding the mercy petition seem inadequate. What other steps need to be taken in such situation? Discuss. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।